



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013-वैशाख 20, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, द्वारका प्रसाद टेलर पिता स्वर्गीय भँवरलाल टेलर जो कि भृत्य शा. बा. उ. मा. शाला, माचलपुर में कार्यरत हूँ. मैं नगरीय क्षेत्र माचलपुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. पूर्व में मेरा उपनाम टेलर लिखा था किन्तु अब मेरा उपनाम परिवर्तित कर टेलर के स्थान पर हाड़ा कर लिया है. अब मेरा नाम द्वारका प्रसाद हाड़ा पढ़ा जावे. मेरे उपनाम परिवर्तन किसी को आपत्ती हो तो प्रकाशन के एक माह के भीतर आपत्ती प्रस्तुत करें, बाद में आपत्ती मान्य नहीं होगी.

पुराना नाम :

( द्वारका प्रसाद टेलर )

नया नाम :

( द्वारका प्रसाद हाड़ा )

पिता भँवरलाल टेलर,

(39-बी.)

निवासी माचलपुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म. प्र.).

#### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र तपन पोखरना की 10 वीं सी.बी.एस.ई. बोर्ड व 12 वीं म. प्र. बोर्ड की अंकसूची में पिता का नाम गलती से रवि पोखरना लिखा गया है, वास्तविक नाम तपन पिता श्री रविन्द्र पोखरना है, जो कि नगर निगम द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण-पत्र से प्रमाणित है.

पुराना नाम :

( रवि पोखरना )

नया नाम :

( रविन्द्र पोखरना )

(40-बी.)

21, मोतीलाल नेहरू मार्ग, रतलाम (म. प्र.).

#### नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम श्रीमती कोमल दयारामानी पत्नि श्री सुशील दयारामानी, निवासी फ्लेट नं. 204, राजदेव स्टेट संत कवरराम कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल था. जिसे तकनीकी कारण से नाम परिवर्तन कर श्रीमती नीलिमा दयारामानी पत्नि श्री सुशील कुमार दयारामानी निवासी उक्त पता हो गया है. अतः मुझे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( कोमल दयारामानी )

नया नाम :

( नीलिमा दयारामानी )

(42-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम गुरप्रीत सिंह सैनी पिता बलदेव सिंह सैनी माता मंजीत कौर सैनी था जो कि अब बदलकर गुरप्रीत बडवाल पिता बलदेव सिंह बडवाल माता मंजीत कौर बडवाल हो गया है। अतः अब भविष्य में उसे गुरप्रीत बडवाल पिता बलदेव सिंह बडवाल माता मंजीत कौर बडवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :  
( बलदेव सिंह सैनी )  
माता-मंजीत कौर सैनी.  
(45-बी.)

नया नाम :  
( बलदेव सिंह बडवाल )  
माता-मंजीत कौर बडवाल,  
65-ए, नानक नगर, पिपल्या राव, इन्दौर.

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम कैलाश वर्मा था, अब मैंने अपना नाम बदलकर श्रवण कुमार रखा है। अब भविष्य में सभी दस्तावेजों में श्रवण कुमार के नाम से जाना जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम अब श्रवण कुमार हो गया है।

पुराना नाम :  
( कैलाश वर्मा )  
(49-बी.)

नया नाम :  
( श्रवण कुमार )  
पता—नदीपार टाल, मुरार, ग्वालियर.

### NAME CHANGE IN SPELLINGS

I, here by declared that, I change my son's name spelling as Nihar Pathak to Nihaar Pathak. Now & after that, henceforth my son's name be spelled as Nihaar Pathak.

(48-B.)

**Nitin Pathak,**  
1098, Shanti Bhawan, Central Street  
Mhow, Distt.- Indore (M.P.).

### नाम परिवर्तन

मैं, आशीष प्रधान पिता श्री गोपीनाथ प्रधान, आयु लगभग 42 वर्ष, वर्तमान निवासी एस. बी. आई. आफिसर्स कॉलोनी, क्वार्टर नं. सी-7/8, चार इमली, भोपाल जो की मेरा पुराना नाम बाबुला प्रधान था जिसे 22 सितम्बर, 2003 से बदलकर आशीष प्रधान कर दिया गया है तथा आगे भी सभी अभिलेखों, प्रलेखों में एवं कागजातों एवं सभी कार्यवाहियों में अपना पुराना नाम बाबुला प्रधान की जगह आशीष प्रधान का नाम प्रयोग करूंगा तथा आगे भविष्य में भी आशीष प्रधान के नाम से जाना व पहचाना जाता रहेगा।

पुराना नाम :  
( बाबुला प्रधान )  
(50-बी.)

नया नाम :  
( आशीष प्रधान )  
एस. बी. आई. आफिसर्स कॉलोनी,  
क्वार्टर नं. सी-7/8, चार इमली, भोपाल.

### आम सूचना

दिनांक 2 अप्रैल, 2013

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण की साझेदारी फर्म महामाया ग्रुप कन्स्ट्रक्शन, ग्वालियर स्थित किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर म. प्र. हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 02/42/01/00046/09, दिनांक 15 जुलाई, 2009 है। उपरोक्त फर्म के उपरोक्त दिनांक पर दो साझेदार थे। जिनके नाम (1) जबाहर सिंह पुत्र श्री हरविलास सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. (2) के. सी. चौधरी पुत्र श्री भागचन्द्र चौधरी, निवासी-8, नेहरू कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, म. प्र. थे। दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को उपरोक्त फर्म में से साझेदार क्रमांक-2, के. सी. चौधरी पुत्र श्री भागचन्द्र चौधरी, निवासी-8, नेहरू कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, म. प्र. ने उपरोक्त वर्णित फर्म महामाया ग्रुप कन्स्ट्रक्शन से अपनी साझेदारी समाप्त कर दी है।

फर्म महामाया ग्रुप कन्स्ट्रक्शन में दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को पुराने एवं नवीन साझेदार का पुर्नगठन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:— (1) जबाहर सिंह पुत्र श्री हरविलास सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. (2) त्रिलोक सिंह पुत्र जबाहर सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. (3) श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी श्री त्रिलोक सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. (4) श्रीमती कमला सिंह पत्नी श्री जबाहर सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. है।

उपरोक्त फर्म महामाया ग्रुप कन्स्ट्रक्शन ग्वालियर में अब के. सी. चौधरी पुत्र श्री भागचन्द्र चौधरी, निवासी-8, नेहरू कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, म. प्र. साझेदार नहीं हैं और न ही उपरोक्त फर्म से के. सी. चौधरी पुत्र श्री भागचन्द्र चौधरी, निवासी-8, नेहरू कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर,

म. प्र. का कोई भी लेनदेन बकाया नहीं है. यदि कोई व्यक्ति संस्था, निकाय, बैंक अपना हित व अधिकार रखती हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में दस्तावेज सहित उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करावे. अन्यथा म्याद अवधि गुजर जाने के पश्चात् की गयी आपत्ति अमान्य होगी. सूचित हो.

प्रेषक,

**उषा शुक्ला,**  
(एडवोकेट)

(43-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स संकेत डायग्नोस्टिक, 459, सेक्टर 3, शक्ति नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश की संरचना में परिवर्तन हुआ है. पूर्व में फर्म में —1. डॉ. राजीव मिश्रा, 2. श्रीमती रंजना पुसलकर तथा 3. डॉ. समीर पुसलकर भागीदार थे. इनमें से श्रीमती रंजना पुसलकर तथा डॉ. समीर पुसलकर ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को फर्म में अपनी भागीदारी से त्याग-पत्र दे दिया है और अब फर्म के एक मात्र प्रोपराईटर डॉ. राजीव मिश्रा हैं.

भवदीय

**राजीव मिश्रा,**

459, सेक्टर 3, शक्ति नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(55-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स साकेत ओपन एम आर आई सेन्टर, 195, जोन-1, एम. पी. नगर भोपाल, मध्यप्रदेश की संरचना में परिवर्तन हुआ है. पूर्व में फर्म में —1. डॉ. समीर पुसलकर तथा 2. डॉ. राजीव मिश्रा भागीदार थे. इनमें से डॉ. समीर पुसलकर ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को फर्म में अपनी भागीदारी से त्याग-पत्र दे दिया है और अब फर्म के एक मात्र प्रोपराईटर डॉ. संजीव मिश्रा हैं.

भवदीय

**संजीव मिश्रा,**

मै. साकेत ओपन एम आर आई सेन्टर, 195,  
जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(56-बी.)

### जाहिर सूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2012

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अकलीम पिता मुनीर है और इनका वास्तविक नाम अकलीम है. अकलीम पिता मुनीर खरगोन नगर पालिका में सफाई कामगार के पद वर्तमान में कार्यरत हैं. यहां की नगर पालिका सेवा पुस्तिका एवं अन्य रिकॉर्ड में मेरा नाम तस्लीम लिखा है. तस्लीम की जगह मेरी सेवा पुस्तिका व अन्य रिकॉर्ड में अकलीम होना चाहिए क्योंकि मेरा वास्तविक नाम अकलीम पुत्र मुनीर है.

यह जाहिर सूचना इस कारण से प्रकाशित कराई गई थी, मेरा पक्षकार नगर पालिका में अपनी सेवा पुस्तिका एवं अन्य रिकॉर्ड में अपना नाम तस्लीम के स्थान पर अकलीम लिखवाना चाहता है. इस कारण मैं यह जाहिर सूचना जारी की गई है. इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के बाद तस्लीम की जगह अकलीम नाम जाना जाये. इस सम्बन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र के प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करें बाद अवधि आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी.

भवदीय,

**सी.के. पाठक,**

(एडवोकेट)

बेस्टान रोड, खरगौन.

(41-बी.)

### जाहिर सूचना

This is to inform that the FIRM M/s SHANTI VIHAR (Reg. No. 07/35106/00022/11) Dated 27<sup>th</sup> June 2011 Situated at Hospital Road, Suwasra, Distt. Mansaur (M. P.) has retired Mr. Rajeev Gulati S/o Sh. Harish Chandra Gulati, Mr. Shiva Charan Singh Bhati S/o Sh. Madan Singh Bhati w.e.f. 23<sup>rd</sup> March 2012 as per Indian Partnership Act, 1932.

(44-B.)

For-शरद उदिया,

### JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act, 1932 we are intimate to general public that our client M/s Agarwal Trading Co. Address 38, Sanyogita-ganj, Indore. Whose Registration No. Is 786 of 1967-68 had entered 2 new partners in the firm with effect from 20 March, 2013 named Shri Kanhaylal Gupta S/o Late Shri Gopilal Gupta Resident of 159, Sajan Nagar, Indore and Shri Rajendra Kumar Gupta S/o Shri Kanhaylal Gupta Resident of 159, Sajan Nagar, Indore.

(46-B.)

**DHARMENDRA AGARWAL,**  
E-4, Ratlam Kothi, Indore-452001.

**JAHIR SUCHNA**

According to Provisions of partnership Act, 1932 we are intimate to general public that our client M/s Vijay Pulses Address 249-250, Sajan Nagar, Indore. Whose Registration No. Is 1745 of 1972-73 had entered 2 new partners in the firm with effect from 16<sup>th</sup> March, 2013 named Shri Mahesh Chand Gupta S/o Late Shri Hukum Chand Gupta Resident of 75, Sneh Nagar, Indore and Shri Rahul Gupta S/o Shri Dinesh Chand Gupta Resident of 75, Sneh Nagar, Indore.

(47-B.)

**DHARMENDRA AGRAWAL,**  
E-4, Ratlam Kothi, Indore-452001.

**विविध****निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2013

**अल्प अवधि निविदा सूचना में संशोधन**

क्रमांक जी. बी. चार/पेपर (1) 2013-14/1488.—इस कार्यालय के अल्प अवधि निविदा सूचना क्रमांक जी. बी. चार/पेपर (1) 2013-14/1430, भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के Annexure-II के आइटम नं. 1 के सरल क्र. (iii) के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जावे :—

**(iv) in Brown Colour (Kraft) 15 MT.**

अजीत केसरी,  
नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(246)

**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, सेंधवा, जिला बड़वानी**

सेंधवा, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

**प्ररूप-4**

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-5 (1) देखिए]

लोक न्यास के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा, जिला बड़वानी के समक्ष.

क्र./1527/रीडर-1/2013.—चूँकि उदयंकर जैन श्वेताम्बर मुर्ती पुजक संघ की ओर से श्री मनोहरलाल पिता मीट्टुलाल जैन, निवासी-बलवाडी, तहसील वरला, द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन नीचे वर्णित अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09 मई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, श्रीमति सविता झानिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा, जिला बड़वानी, का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 09 मई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की धारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रचाने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित

कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन )

|                    |  |
|--------------------|--|
| लोक न्यास का नाम : | उदयंकर जैन श्वेताम्बर मुर्ती पुजक संघ, बलवाड़ी, तहसील वरला, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश.  |
| अचल सम्पत्ति :     | ग्राम बलवाड़ी, तहसील वरला, पटवारी हल्का नम्बर-4 स्थित भूमि सर्वे नम्बर 156/2 रकबा, 0.065 हैक्टर जो मनोहरलाल पिता मिट्ठुलाल जैन अध्यक्ष उदयंकर जैन श्वेताम्बर मुर्ती पुजक संघ, बलवाड़ी, के नाम से दर्ज हैं एवं उक्त भूमि पर नियोजन मंदिर का प्लान मूल्य लगभग 25,00,000/- रुपये. |
| चल सम्पत्ति :      | निरंक.   |

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

सविता झानिया,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(242)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला चेरिटेबल ट्रस्ट” कार्यालय 108, राजपैलेस, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर की ओर से श्रीमती रेखा पसारी पता 108, राजपैलेस, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

|                 |   |
|-----------------|---|
| ट्रस्ट का नाम : | “श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला चेरिटेबल ट्रस्ट” |
| पता :           | 108, राजपैलेस, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर.                    |
| अचल सम्पत्ति :  | निरंक.  |
| चल सम्पत्ति :   | रुपये 2,100/- (अक्षरी रुपये दो हजार एक सौ मात्र)          |

आज दिनांक 03 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(234)

( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“उत्तम लक्ष्य पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट” कार्यालय 22-ए, बृजबिहार कॉलोनी, वैशाली नगर, इन्दौर की ओर से श्रीमती वैशाली पति अनिरुद्ध जोशी, निवासी 22-ए, बृजबिहार कॉलोनी, वैशाली नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | “उत्तम लक्ष्य पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट”            |
| पता           | : | 22-ए, बृजबिहार कॉलोनी, वैशाली नगर, इन्दौर.      |
| अचल सम्पत्ति  | : | निरंक.  |
| चल सम्पत्ति   | : | रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) |

आज दिनांक 08 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(234-A)

### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्री जयेश प्रार्थना कल्याण प्राथमिक ट्रस्ट” कार्यालय महंत जयेशदास महाराज, पता 211, राजमोहल्ला, जवाहर मार्ग, इन्दौर की ओर से महंत जयेशदास महाराज पता 211, राजमोहल्ला, जवाहर मार्ग, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | “श्री जयेश प्रार्थना कल्याण प्राथमिक ट्रस्ट”          |
| पता           | : | 211, राजमोहल्ला, जवाहर मार्ग, इन्दौर .                |
| अचल सम्पत्ति  | : | निरंक.  |
| चल सम्पत्ति   | : | रुपये 22,500/- (अक्षरी रुपये बाईस हजार पाँच सौ मात्र) |

आज दिनांक 08 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(234-B)

शरद श्रोत्रिय,  
रजिस्ट्रार.

## न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. 10/बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,  
लोक न्यास, उज्जैन,  
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री प्रवीण बम पिता बसंतीलाल जी बम, निवासी 53, आजाद नगर, उज्जैन आदि ने श्री शीतल धार्मिक पारमार्थिक न्यास उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 मई, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 मई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| न्यास का नाम | .. | श्री शीतल धार्मिक पारमार्थिक न्यास, उज्जैन.  |
| कार्यालय     | .. | 53, आजाद नगर, उज्जैन.  |
| अचल सम्पत्ति | .. | वृंदावनपुरा, महावीर नगर उज्जैन भवन क्रमांक 67 क्रय दिनांक 22 नवम्बर, 2004 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति के आधार पर. |
| चल सम्पत्ति  | .. | ट्रस्ट के पास नगद 5000/- रुपये हैं.  |

आर. एस. मीना,

पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

(235)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि "ओजस फाउन्डेशन" द्वारा श्री डॉ. मधुसूदन देशपांडे आ. श्री शिवराम देशपांडे, निवासी 114, सी.बी. सेक्टर चूनाभट्टी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 14 मई, 2013 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

#### अनुसूची

- |                  |    |                                      |
|------------------|----|--------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | .. | “ओजस फाउन्डेशन न्यास”                |
| 2. अचल सम्पत्ति  | .. | कुछ नहीं.                            |
| 3. चल सम्पत्ति   | .. | 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार मात्र) |

सुनील दुबे,  
रजिस्ट्रार.

(236)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, होशंगाबाद

प्र. क्र. 1/बी-113 (1)/2012-13.

#### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1963 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक “जय माँ काली गौ-मानव सेवा उत्थान धार्मिक उत्सव समिति जुमेराती मोहल्ला होशंगाबाद” द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- |                        |   |
|------------------------|---|
| पब्लिक ट्रस्ट का नाम : | “जय माँ काली गौ-मानव सेवा उत्थान धार्मिक उत्सव समिति जुमेराती मोहल्ला होशंगाबाद”  |
| पता :                  | जुमेराती मोहल्ला, होशंगाबाद.  |
| अचल सम्पत्ति :         | नगरपालिका होशंगाबाद की सीमा में जुमेराती मोहल्ले में स्थित एक मंदिर जो नजूलशीट नम्बर 14 प्लाट नम्बर 69 कुल रकबा 551 वर्गफुट पर निर्मित है, जिसमें 17 × 23 पर मंदिर तथा 10 × 16 पर कमरा जो मंदिर से लगा है, कुल रकबा 551 वर्गफिट है, जिसमें शिवलिंग एवं नंदी की स्थापना है तथा काली जी की पीतल की मूर्ति है. |
| चल सम्पत्ति :          | कालीजी की मूर्ति के श्रंगार हेतु सोने एवं चांदी के आभूषण, छत्र आदि जेवर, वर्तन व अभिषेक पात्र, सिंहासन, त्रिशूल व अन्य पीतल की मूर्तियां.   |

आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

(244)

प्र. क्र. 1/बी-113 (1)/2012-13.

#### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1963 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक “कडा माणिकपुरी जिज्ञौतिया ब्राह्मण न्यास होशंगाबाद” द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.



अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

|                        |   |
|------------------------|---|
| पब्लिक ट्रस्ट का नाम : | “कडा माणिकपुरी जिज्ञौतिया ब्राह्मण न्यास होशंगाबाद”   |
| पता :                  | मालाखेडी, चक्कर रोड, होशंगाबाद.   |
| अचल सम्पत्ति :         | ग्राम जलालाबाद तहसील होशंगाबाद में दानपत्र-प्रतिफल रहित से प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 116, रकबा 0.283 हैक्टर में से 0.101 हैक्टर पर बना दो मंजिला भवन जिसकी वर्तमान कीमत लगभग चालीस लाख रुपये मात्र. |
| चल सम्पत्ति :          | छरी-4, प्लास्टिक कुर्सी 12, पानी की टंकी-1 एवं पानी पीने के गिलास 12.   |

आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश शाही,  
पंजीयक.

(244-A)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर

आष्टा, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[देखिये नियम 5 (1)]

न्यास का नाम—दण्डी सेवा आश्रम देवबडला मेहतवाडा, तहसील जावर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के सम्बन्ध में.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष श्री आजादसिंह दण्डी सेवा आश्रम देवबडला, मेहतवाडा ट्रस्ट, तहसील जावर, जिला सीहोर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, रवि कुमार सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ कि—

1. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उनके बारे में आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समक्ष व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिये दिनांक 26 जून, 2013 नियत की जाती है. नियत दिनांक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्तियों एवं सुझाव के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करें.

### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम .. दण्डी सेवा आश्रम, देवबडला मेहतवाडा, तहसील जावर, जिला सीहोर (म. प्र.).
2. अचल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.
3. चल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.

आज दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(245)

आष्टा, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

**प्रारूप-चार**

[ देखिये नियम 5 (1) ]

न्यास का नाम—श्रीनाथ, तहसील आष्टा, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के सम्बन्ध में.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक स्व. श्री सेठ रतनलाल अग्रवाल, श्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, रवि कुमार सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ कि—

1. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समक्ष व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिये दिनांक 26 जून, 2013 नियत की जाती है. नियत दिनांक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्तियों एवं सुझाव के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करें.

**अनुसूची**

1. ट्रस्ट का नाम . . . स्व. श्री सेठ रतनलाल अग्रवाल श्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर (म. प्र.).
2. अचल सम्पत्ति . . . कुछ नहीं.
3. चल सम्पत्ति . . . कुछ नहीं.

आज दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(245-A)

आष्टा, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

न्यास का नाम—केशव माधव स्मृति कन्नोद रोड, आष्टा जिला सीहोर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन बाबत.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण प्रेमचंद धाडीवाल आ. श्री गोटमलजी धाडीवाल, आदि निवासी आष्टा, द्वारा ट्रस्ट केशव माधव स्मृति, कन्नोद रोड, आष्टा जिला सीहोर, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, रवि कुमार सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ कि—

1. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समक्ष व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिये दिनांक 26 जून, 2013 नियत की जाती है. नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्तियों एवं सुझाव के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करें.

**अनुसूची**

1. ट्रस्ट का नाम . . . केशव माधव स्मृति, कन्नोद रोड, आष्टा, जिला सीहोर.
2. अचल सम्पत्ति . . . 166 वर्धमान कुटी, कन्नोद रोड, आष्टा 25 × 45.
3. चल सम्पत्ति . . . 1000/-रु.

आज दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया.

रवि कुमार सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(245-B)

**अन्य सूचनाएं**  
**श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर**  
इन्दौर, दिनांक 02 अप्रैल, 2013

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय:**—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावशील करने के संबंध में.

क्र./1/9/अ./पांच/2009/12160-459.—उपरोक्त विषयान्तर्गत 35 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावशील की गई हैं जो निम्नानुसार है:—

**अनुसूची-अ**

**35 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है.**  
**( आंकड़े रुपयों में )**

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन |          | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता |          | कुल वेतन |          | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें |
|------------------|------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|
|                  | प्रतिमाह         | प्रतिदिन | प्रतिमाह                 | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन                        |
| अकुशल            | 3070.00          | 118.07   | 2200.00                  | 84.62    | 5270.00  | 202.69   | 203.00                          |
| अर्धकुशल         | 3200.00          | 123.08   | 2200.00                  | 84.62    | 5400.00  | 207.70   | 208.00                          |
| कुशल             | 3350.00          | 128.85   | 2200.00                  | 84.62    | 5550.00  | 213.47   | 213.00                          |

**अनुसूची-ब**

**किसी स्लेट पेंसिल निर्माणशाला में नियोजन**  
**मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है.**  
**( आंकड़े रुपयों में )**

| श्रमिकों का वर्ग            | न्यूनतम मूल वेतन |          | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता |          | कुल वेतन |          | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें |
|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|
|                             | प्रतिमाह         | प्रतिदिन | प्रतिमाह                 | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन                        |
| कटर्स                       | 4320.00          | 166.18   | 2200.00                  | 84.62    | 6520.00  | 250.77   | 251.00                          |
| रोलर्स, मिस्त्री, पाईटर्स   | 3687.00          | 141.81   | 2200.00                  | 84.62    | 5887.00  | 226.43   | 226.00                          |
| पेकर, पट्टीपेकर, सीपर       | 3189.00          | 122.67   | 2200.00                  | 84.62    | 5389.00  | 207.27   | 207.00                          |
| मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि. | 3350.00          | 128.85   | 2200.00                  | 84.62    | 5550.00  | 213.47   | 213.00                          |
| मजदूर                       | 3075.00          | 118.27   | 2200.00                  | 84.62    | 5275.00  | 202.89   | 203.00                          |

**स्पष्टीकरण:—**

1. प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा दिये गये सुझाव पर मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20 जून, 2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय. तदनु रूप प्रतिदिन रुपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई हैं.

2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा.

**अनुसूची-स**

**किसी मुद्रणालय में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है.

( आंकड़े रुपयों में )

| श्रमिकों का वर्ग        | न्यूनतम मूल वेतन |          | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता |          | कुल वेतन |          | रुपये में राउंडअप दैनिक दरें |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|
|                         | प्रतिमाह         | प्रतिदिन | प्रतिमाह                 | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन                     |
| <b>लिपिकीय वर्ग—</b>    |                  |          |                          |          |          |          |                              |
| श्रेणी-एक               | 3350.00          | 128.85   | 2200.00                  | 84.62    | 5550.00  | 213.47   | 213.00                       |
| श्रेणी-दो               | 3200.00          | 123.08   | 2200.00                  | 84.62    | 5400.00  | 207.70   | 208.00                       |
| <b>कुशल श्रमिक—</b>     |                  |          |                          |          |          |          |                              |
| श्रेणी-एक               | 3850.00          | 148.08   | 2200.00                  | 84.62    | 6050.00  | 232.70   | 233.00                       |
| श्रेणी-दो               | 3543.00          | 136.27   | 2200.00                  | 84.62    | 5743.00  | 220.89   | 221.00                       |
| श्रेणी-तीन              | 3350.00          | 128.85   | 2200.00                  | 84.62    | 5550.00  | 213.47   | 213.00                       |
| <b>अर्धकुशल श्रमिक—</b> |                  |          |                          |          |          |          |                              |
| श्रेणी-एक               | 3355.00          | 129.05   | 2200.00                  | 84.62    | 5555.00  | 213.67   | 214.00                       |
| श्रेणी-दो               | 3200.00          | 123.08   | 2200.00                  | 84.62    | 5400.00  | 276.70   | 277.00                       |
| <b>अकुशल श्रमिक—</b>    |                  |          |                          |          |          |          |                              |
|                         | 3070.00          | 118.07   | 2200.00                  | 84.6     | 5270.00  | 202.69   | 203.00                       |

**अनुसूची-द**

**कृषि नियोजन ( आंकड़े रुपयों में )**

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन |          | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता |          | कुल वेतन |          | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें |
|------------------|------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|
|                  | प्रतिमाह         | प्रतिदिन | प्रतिमाह                 | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन                        |
| अकुशल            | 2550.00          | 85.00    | 1686.00                  | 56.20    | 4236.00  | 141.20   | 141.00                          |

**अनुसूची-ई**

**बीड़ी नियोजन**

| कर्मचारियों का वर्ग                        | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता | कुल वेतन  |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| बीड़ी रोलर<br>( 1000 बीड़ी बनाने के लिये ) | रु. 22.50                       | रु. 33.50                | रु. 56.00 |

1000 बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रु. 56.00 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (4.90) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (रु. 2.80) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (5.88) इस प्रकार कुल रु. 69.58 देय होगी. इस सकल देय राशि में से श्रमिक का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रु. 11.76 की होगी. इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 की अवधि में श्रमिकों को भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि रु. 57.82 देय होगी.

**अनुसूची-एफ**  
**अगरबत्ती नियोजन**

| अगरबत्ती रोलर—<br>(1000 अगरबत्ती रोल करने पर) |          |          |           |
|---|----------|----------|-----------|
| साधारण अगरबत्ती                               | रु. 6.31 | रु. 8.09 | रु. 14.40 |
| सुर्गंधित अगरबत्ती                            | रु. 6.78 | रु. 8.09 | रु. 14.87 |

(243)

**प्रभात दुबे,**  
उप श्रम आयुक्त.

**कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम**

रतलाम, दिनांक 28 मार्च, 2013

क्र./परि./नग.साख/2013/464.—परिसमापित सिखवाल श्रृंग समाज सहकारी साख संस्था मर्या., रतलाम के परिसमापक श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र दिनांक 22 मार्च, 2013 द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि परिसमापित सिखवाल श्रृंग समाज सहकारी साख संस्था मर्या., रतलाम को संस्था सदस्यों के हित में पुनः जीवित किये जाने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा अपने पत्र के साथ सोसायटी के सदस्यों की आमसभा 17 फरवरी, 2013 का प्रस्ताव ठहराव संलग्न किया है. जिन्होंने सोसायटी को पुनः जीवित करने का ठहराव किया है.

परिसमापक की उपयुक्त अनुशंसा एवं पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव ठहराव के अनुसार सोसायटी के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु सोसायटी का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित सिखवाल श्रृंग समाज सहकारी साख संस्था मर्यादित, रतलाम को परिसमापन में लाने का आदेश एतद्वारा रद्द करते हुए सोसायटी को पुनः जीवित किया जाता है.

सोसायटी के कार्य संचालन हेतु परिसमापक की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :-

1. श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित अध्यक्ष
2. श्री मधुकांत जोशी सदस्य
3. श्रीमती ज्योतिबाला पांडे सदस्य

उक्तानुसार गठित काम-काज समिति आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह की अवधि में सोसायटी के संचालक मण्डल का निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(237)

रतलाम, दिनांक 28 मार्च, 2013

क्र./परि./दुग्ध/2013/463.—परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनिया, पंजीयन क्रमांक 478/ 07 नवम्बर, 1988 के परिसमापक श्री अनिल तनपुरे, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, उज्जैन दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन ने अपने पत्र दिनांक 23 मार्च, 2013 के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनिया सोसायटी के क्षेत्र में दुग्ध संघ उज्जैन का परिवहन रूट नियत हो जाने से दुग्ध सोसायटी रिंगनिया को पुनः संचालित किया जा सकता है. सोसायटी दुग्ध व्यवसाय करके क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के लिए आर्थिक उन्नति का उपयुक्त माध्यम हो सकता है. परिसमापक द्वारा अपने पत्र के साथ दुग्ध सोसायटी के ग्राम सभा का दिनांक 22 मार्च, 2013 का प्रस्ताव ठहराव संलग्न किया है जिसमें लगभग 38 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने सोसायटी को पुनःजीवित करने का ठहराव किया है.

परिसमापक की उपयुक्त अनुशंसा एवं पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव ठहराव के अनुसार सोसायटी को क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक विकास हेतु सोसायटी का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिंगनिया पंजीयन क्रमांक 478/ 07 नवम्बर, 1988 को परिसमापन में लाने का आदेश एतद्वारा रद्द करते हुए सोसायटी को पुनःजीवित किया जाता है।

सोसायटी के कार्य संचालन हेतु श्री सोहनसिंह पंवार, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक उज्जैन दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को सोसायटी का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि वह आदेश जारी होने के 3 माह की समय-सीमा में सोसायटी का निर्वाचन कराकर सोसायटी का प्रभार निर्वाचित संचालक मण्डल को सौंपा जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(237-A)

रतलाम, दिनांक 28 मार्च, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./औ./2013/466.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013 रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा तेली समाज, तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सैलाना का परिसमापन किये जाने हेतु श्री अमरसिंह राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेली समाज तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सैलाना का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(237-B)

रतलाम, दिनांक 28 मार्च, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./औ./2013/467.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013 रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दन्तोडिया का परिसमापन किये जाने हेतु श्री अमरसिंह राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दन्तोडिया का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(237-C)

रतलाम, दिनांक 28 मार्च, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./औ./2013/468.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013 रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ताल का परिसमापन किये जाने हेतु श्री अमरसिंह राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ताल का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(237-D)

रतलाम, दिनांक 28 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत]

क्र./परि./ति./2013/470.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1003 रतलाम, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कसारी हरोड़ का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कसारी हरोड़ का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

पी. आर. कावड़कर,

उप-रजिस्ट्रार.

(237-E)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा**

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/842.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2010/140, दिनांक 10 फरवरी, 2010 के द्वारा निमाडू टेक्सटाईल्स कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 5 दिसम्बर, 1969 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री रमेशलाल मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किया जाकर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित किये गये हैं। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए निमाडू टेक्सटाईल्स कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 5 दिसम्बर, 1969 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निर्गमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(240)

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2010/974, दिनांक 07 अगस्त, 2010 के द्वारा सर्वोदय बकरा-बकरी सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1697, दिनांक 16 जून, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. के. पाटीदार, उप अंकेक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किया जाकर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित किये गये हैं। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सर्वोदय बकरा-बकरी सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा पंजीयन क्रमांक 1697, दिनांक 16 जून, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निर्गमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(240-A)

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/844.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/75, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रीक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1804, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री गोविंद प्रसाद नागवंशी, उप अंकेक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किया जाकर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित किये गये हैं। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रीक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1804, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निर्गमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(240-B)



खण्डवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/845.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/82, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा श्री हनुमान सरोवर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, कोरगला, पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 11 जून, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुभाष चौहान, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किया जाकर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित किये गये हैं। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री हनुमान सरोवर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, कोरगला, पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 11 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निर्गमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(240-C)

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/846.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/81, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा ब्रम्हगीर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, अमलपुरा, पंजीयन क्रमांक 1848, दिनांक 19 मार्च, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुभाष चौहान, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किया जाकर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित किये गये हैं। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए ब्रम्हगीर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, अमलपुरा, पंजीयन क्रमांक 1848, दिनांक 19 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निर्गमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

मदन गजभिये,

उप-पंजीयक.

(240-D)

कार्यालय समानुदेशिती, गोपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./समा./2013/क्यू.—गोपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 03 फरवरी, 1984 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 1221, दिनांक 06 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश

सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1) (2) (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-18 [ए/क(2)] के अन्तर्गत मुझे समानुदेशिती नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग इन्दौर, इन्दौर पर कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से बंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. एल. कोरी,  
समानुदेशिती।

(238)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./उपछि/परि./2013/458.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपछि/परि/2012/1750, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जोकि मध्यप्रदेश राजपत्र साधारण राजपत्र भाग-3 (1) दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 में भी प्रकाशित हुआ है। कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। किन्तु निर्धारित समयावधि में समितियों द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्थाएं सहमत हैं तथा संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उन्हें अस्तित्व में बनाये रखने का औचित्य नहीं होने से संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 4 में वर्णित कर्मचारियों को निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 02 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:-

| क्र. | संस्था का नाम  | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापक                          |
|------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 2  | 3                     | 4                                 |
| 1.   | लावाघोघरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लावाघोघरी         | 677/22-03-2006        | सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़. |
| 2.   | मछेरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मछेरा                 | 678/22-03-2006        | सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़. |
| 3.   | मोहगांवनाराजी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांवनाराजी | 694/04-10-2007        | सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़. |
| 4.   | पटनिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटनिया               | 716/20-11-2009        | सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़. |

| 1   | 2   | 3              | 4                                    |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
| 5.  | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उभेगांव                  | 506/10-05-1995 | सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा. |
| 6.  | कोहका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोहका              | 693/04-10-2007 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 7.  | सैलाखेड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सैलाखेड़ा      | 695/04-10-2007 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 8.  | कोडरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोडरा              | 696/04-10-2007 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 9.  | तुरसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तुरसी              | 697/04-10-2007 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 10. | मारई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मारई                | 717/20-11-2007 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 11. | बांगई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांगई              | 703/01-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 12. | बेलखेड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेलखेड़ी        | 704/01-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 13. | हरसरिवारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हरसदिवारी      | 705/01-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 14. | निशान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, निशान              | 706/01-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 15. | जामुनढोंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जामुनढोंगा.   | 707/24-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 16. | मुंगसिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुंगसिया.       | 708/24-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 17. | भाण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भाण्डी.           | 709/24-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 18. | कुर्सीढ़ाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुर्सीढ़ाना. | 710/24-01-2009 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 19. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भजिया                    | 428/14-12-1993 | सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा.   |
| 20. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांकामुकासा              | 430/14-12-1993 | सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा.   |
| 21. | नौशक्ति प्रजापति उद्योग सहकारी समिति, परासिया                 | 147/24-08-1987 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 22. | महादेव खाण्डसारी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा.   | 548/26-03-1996 | सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा. |
| 23. | आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कोहपानी.          | 667/08-09-2005 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |

| 1   | 2  | 3              | 4                                    |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
| 24. | रैदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पाण्डुर्ना              | 676/13-03-2006 | सहकारिता विस्तार अधिकारी पाण्डुर्ना. |
| 25. | कालरी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ठिसगोरा.         | 446/23-07-1994 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 26. | श्री गायत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पांडुर्ना.       | 181/15-01-1988 | सहकारिता विस्तार अधिकारी पांडुर्ना.  |
| 27. | ग्रामभारती महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, अंबाड़ा.            | 662/31-05-2005 | सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.    |
| 28. | नारी प्रगति महिला बहुउद्देशीय सह. समि. मर्यादित, छिन्दीपातालकोट. | 640/21-02-2003 | सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.     |
| 29. | पार्वति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, ढिमराढाना       | 668/18-11-2005 | सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा. |
| 30. | हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चांगोवा                | 449/21-09-1994 | सहकारिता विस्तार अधिकारी पाण्डुर्ना. |

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,  
उप-पंजीयक.

(239)

### कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत ]

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के पत्र क्र. उरन/परिसमापन/10-11/57 (B) दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित दुग्ध समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम दुग्ध सहकारी समिति              | पत्र क्रमांक/दिनांक | आदेश क्र./दिनांक |
|------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1    | 2                                   | 3                   | 4                |
| 1.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, कूसीवाड़ा  | 5032/13-03-1997     | 1598/21-04-2004  |
| 2.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, नोनी करेली | 520/03-03-1997      | 1598/21-04-2004  |
| 3.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, अतारिया    | 546/20-03-1997      | 1598/21-04-2004  |
| 4.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बासनपानी   | 501/31-12-1997      | 307/20-02-2004   |
| 5.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मानेगाँव   | 540/18-03-1997      | 307/20-02-2004   |
| 6.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बौछार      | 509/01-01-1997      | 307/20-02-2004   |
| 7.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मेख        | 522/03-03-1997      | 755/29-08-2009   |
| 8.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, ठेमी       | 518/01-01-1997      | 755/29-08-2009   |
| 9.   | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, करकबेल     | 555/27-03-1997      | 755/29-08-2009   |

| 1   | 2   | 3              | 4               |
|-----|---|----------------|-----------------|
| 10. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, दहलवाड़ा           | 533/13-03-1997 | 307/20-02-2004  |
| 11. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मालहनवाड़ा         | 525/10-03-1997 | 307/20-02-2004  |
| 12. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बटेसरा             | 530/13-03-1997 | 307/20-02-2004  |
| 13. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मडेसुर             | 547/26-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 14. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, घुघरी              | 512/03-01-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 15. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मनकापुर            | 551/26-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 16. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पड़रिया            | 505/31-12-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 17. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, ग्वारी             | 554/26-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 18. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, सुन्हैटी           | 550/28-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 19. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बम्होरी (राजमार्ग) | 502/31-12-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 20. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बरकुण्डा           | 504/31-12-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 21. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, दमोहिषा            | 503/31-12-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 22. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, रीछा               | 503/31-12-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 23. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खमरिया (तेन्दू)    | 494/31-12-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 24. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, चावरपाठा           | 478/31-12-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 25. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, ज्वारा             | 556/27-03-1997 | 307/20-02-2004  |
| 26. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खला                | 511/01-01-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 27. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खैरीनाका           | 549/26-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 28. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, कठौतिया            | 553/26-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 29. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मोहद               | 484/26-06-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 30. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खामघाट             | 515/07-01-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 31. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पस्ताना            | 438/20-04-1995 | 823/29-04-2000  |
| 32. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, कन्हारपानी         | 543/18-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 33. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, गोरखपुर            | 470/15-01-1996 | 1598/21-04-2004 |
| 34. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मैनावारी           | 529/13-03-1997 | 1598/21-04-2004 |
| 35. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, नवलगांव            | 493/30-12-1996 | 307/20-02-2004  |
| 36. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, समनापुर            | 485/26-06-1996 | 307/20-02-2004  |
| 37. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, सुपला              | 560/27-03-1997 | 307/20-02-2004  |
| 38. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, सूरजगांव           | 557/27-03-1997 | 307/20-02-2004  |
| 39. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खुरपावाड़ा         | 471/15-01-1996 | 307/20-02-2004  |
| 40. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, धमना               | 499/31-12-1996 | 755/29-08-2009  |

| 1   | 2                                       | 3              | 4              |
|-----|---|----------------|----------------|
| 41. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, नयागांव        | 516/07-01-1997 | 755/29-08-2009 |
| 42. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, करहैया         | 496/31-12-1996 | 755/29-08-2009 |
| 43. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मुचवारा        | 498/07-01-1997 | 755/29-08-2009 |
| 44. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पाठा           | 476/16-01-1996 | 755/29-08-2009 |
| 45. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खापा (डुडवारा) | 474/16-01-1996 | 755/29-08-2009 |
| 46. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, चौराखेड़ा      | 472/16-01-1996 | 755/29-08-2009 |
| 47. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पांजरा         | 451/01-06-1995 | 755/29-08-2009 |
| 48. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खापा (मचवारा)  | 447/15-05-1995 | 755/29-08-2009 |
| 49. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, ऊसरी           | 383/09-01-1990 | 755/29-08-2009 |
| 50. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, रातामाटी       | 382/09-01-1992 | 755/29-08-2009 |
| 51. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, देवनगर (नया)   | 449/01-06-1995 | 755/29-08-2009 |
| 52. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, कन्धरापुर      | 497/31-12-1996 | 755/29-08-2009 |
| 53. | दुग्ध उत्पादक सह. समिति, खमरिया         | 524/03-03-1997 | 755/29-08-2009 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 01 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. के. शुक्ला,  
परिसमापक.

(241)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013-वैशाख 20, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 जनवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

( अ ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार ( ग्वालियर ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, कटनी व मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, देवास, मण्डला व खरगौन में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला सतना में पाला-तुषार से दलहनी फसल तुअर, साग-भाजी पर 30 प्रतिशत व सिंगरौली में तुअर, सरसों, साग-भाजी व इन्दौर रबी फसल चना व आलू की फसल व राजगढ़ में शीतलहर से फसल धनियां, आलू व भोपाल में रबी फसलों को 5 से 10 प्रतिशत नुकसान तथा फसलों को पाला-तुषार से आंशिक क्षति से प्रभावित हुआ है.

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर में फसल तुअर व भोपाल, बैतूल में तुअर, गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, उमरिया, राजगढ़ व भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 23 जनवरी, 2013

| जिला/तहसीलें  | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:-<br>(अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में<br>(ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:-<br>(अ) प्रारम्भिक जुताई पर.<br>(ब) बोनी पर.<br>(स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.<br>(द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.<br>(य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.<br>4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :-<br>(1) फसल का क्षेत्रफल -<br>(अ) अधिक, समान या कम.<br>(ब) प्रतिशत.<br>(2) फसल की हालत-<br>(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.<br>(ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक).<br>6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति.<br>8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|--|--|--|---|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  |
| <b>जिला मुरैना :</b>  | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. ..<br>4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल.<br>(2) ..  | 5. ..<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.   | 7. ..<br>8. पर्याप्त.  |
| 1. अम्बाह<br>2. पोरसा<br>3. मुरैना<br>4. जौरा<br>5. सबलगढ़<br>6. कैलारस                             | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..   |  |  |   |  |
| <b>जिला श्योपुर :</b>   | मिलीमीटर   | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.  | 3. ..<br>4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                      | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. श्योपुर<br>2. कराहल<br>3. विजयपुर  | ..<br>..<br>..   |  |  |   |  |
| <b>जिला भिण्ड :</b>   | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. ..<br>4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.<br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                      | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. अटेर<br>2. भिण्ड<br>3. गोहद<br>4. मेहगांव<br>5. लहार<br>6. मिहोना<br>7. रौन                      | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..   |  |  |   |  |
| <b>जिला ग्वालियर :</b>  | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.<br>4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक.<br>तिली, मूँगमोट, तुअर कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.   | 5. अपर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                     | 7. ..<br>8. पर्याप्त.  |
| 1. ग्वालियर<br>2. डबरा<br>3. भितरवार<br>4. घाटीगांव   | 1.3<br>4.0<br>3.0<br>..  |  |  |   |  |
| <b>जिला दतिया :</b>   | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.<br>4. (1) ..<br>(2) ..   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                      | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. सेवड़ा<br>2. दतिया<br>3. भाण्डेर   | ..<br>..<br>..   |  |  |   |  |
| <b>जिला शिवपुरी :</b>   | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. ..<br>4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.<br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.                                      | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त.                                 |
| 1. शिवपुरी<br>2. पिछोर<br>3. खनियाधाना<br>4. नरवर<br>5. करैरा<br>6. कोलारस<br>7. पोहरी<br>8. बदरवास | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..   |  |  |   |  |



| 1                     | 2        | 3                         | 4  | 5                            | 6            |
|-----------------------|----------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|
| <b>जिला अशोकनगर :</b> | मिलीमीटर | 2. ..                     | 3. कोई घटना नहीं.  | 5. पर्याप्त.                 | 7. ..        |
| 1. मुंगावली           | ..       |                           | 4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक. चना, गेहूँ, मक्का समान.   | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़             | ..       |                           | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                              |              |
| 3. अशोकनगर            | ..       |                           |  |                              |              |
| 4. चन्देरी            | ..       |                           |  |                              |              |
| 5. शाढौरा             | ..       |                           |  |                              |              |
| <b>जिला गुना :</b>    | मिलीमीटर | 2. ..                     | 3. ..  | 5. अपर्याप्त.                | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना               | ..       |                           | 4. (1) ..  | 6. संतोषप्रद,                | 8. ..        |
| 2. राघोगढ़            | ..       |                           | (2) ..   | ..                           |              |
| 3. बमोरी              | ..       |                           |  |                              |              |
| 4. आरोन               | ..       |                           |  |                              |              |
| 5. चाचौड़ा            | ..       |                           |  |                              |              |
| 6. कुम्भराज           | ..       |                           |  |                              |              |
| 7. मकसूदनगढ़          | ..       |                           |  |                              |              |
| <b>जिला टीकमगढ़ :</b> | मिलीमीटर | 2. ..                     | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                 | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवांडी            | ..       |                           | 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू समान.  | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर          | ..       |                           | (2) उपरोक्त फसलें समान   |                              |              |
| 3. जतारा              | ..       |                           |  |                              |              |
| 4. टीकमगढ़            | ..       |                           |  |                              |              |
| 5. बल्देवगढ़          | ..       |                           |  |                              |              |
| 6. पलेरा              | ..       |                           |  |                              |              |
| <b>जिला छतरपुर :</b>  | मिलीमीटर | 2. ..                     | 3. कोई घटना नहीं.  | 5. अपर्याप्त.                | 7. पर्याप्त. |
| 1. लौण्डी             | ..       |                           | 4. (1) जवा, चना अधिक. गेहूँ कम.  | 6. संतोषप्रद,                | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार            | ..       |                           | (2) उपरोक्त फसलें समान.  | चारा पर्याप्त.               |              |
| 3. नौगांव             | ..       |                           |  |                              |              |
| 4. छतरपुर             | ..       |                           |  |                              |              |
| 5. राजनगर             | ..       |                           |  |                              |              |
| 6. बिजावर             | ..       |                           |  |                              |              |
| <b>जिला पन्ना :</b>   | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                 | 7. ..        |
| 1. अजयगढ़             | ..       |                           | 4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम. | 6. संतोषप्रद,                | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना              | ..       |                           | (2) ..   | ..                           |              |
| 3. गुन्नौर            | ..       |                           |  |                              |              |
| 4. पवई                | ..       |                           |  |                              |              |
| 5. शाहनगर             | ..       |                           |  |                              |              |
| <b>जिला सागर :</b>    | मिलीमीटर | 2. ..                     | 3. ..  | 5. अपर्याप्त.                | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना               | ..       |                           | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.  | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई               | ..       |                           | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                              |              |
| 3. बण्डा              | ..       |                           |  |                              |              |
| 4. सागर               | ..       |                           |  |                              |              |
| 5. रेहली              | ..       |                           |  |                              |              |
| 6. देवरी              | ..       |                           |  |                              |              |
| 7. गढ़ाकोटा           | ..       |                           |  |                              |              |
| 8. राहतगढ़            | ..       |                           |  |                              |              |
| 9. केसली              | ..       |                           |  |                              |              |

| 1                     | 2        | 3  | 4  | 5                               | 6            |
|-----------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------|
| <b>जिला दमोह :</b>    | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा                | ..       |  | 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,<br>राई-सरसों समान.         | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़           | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. दमोह               | ..       |  |  |                                 |              |
| 4. पथरिया             | ..       |  |  |                                 |              |
| 5. जवेरा              | ..       |  |  |                                 |              |
| 6. तेन्दूखेड़ा        | ..       |  |  |                                 |              |
| 7. पटेरा              | ..       |  |  |                                 |              |
| <b>जिला सतना :</b>    | मिलीमीटर | 2. पाला-तुषार से दलहनी<br>फसलों तुअर, साग-भाजी<br>पर 30% तक नुकसान<br>हुआ. | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. ..        |
| 1. रघुराजनगर          | ..       |  | 4. (1) तुअर कम. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी,<br>सरसों समान.         | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां             | ..       |  | (2) ..   |                                 |              |
| 3. रामपुर-बघेलान      | ..       |  |  |                                 |              |
| 4. नागौद              | ..       |  |  |                                 |              |
| 5. उचेहरा             | ..       |  |  |                                 |              |
| 6. अमरपाटन            | ..       |  |  |                                 |              |
| 7. रामनगर             | ..       |  |  |                                 |              |
| 8. मैहर               | ..       |  |  |                                 |              |
| 9. बिरसिंहपुर         | ..       |  |  |                                 |              |
| <b>जिला रीवा :</b>    | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्योंथर            | ..       |  | 4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,<br>मसूर, राई-सरसों समान. | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर             | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. मऊगंज              | ..       |  |  |                                 |              |
| 4. हनुमना             | ..       |  |  |                                 |              |
| 5. हजूर               | ..       |  |  |                                 |              |
| 6. गुढ़               | ..       |  |  |                                 |              |
| 7. रायपुरकर्चुलियान   | ..       |  |  |                                 |              |
| <b>*जिला शहडोल :</b>  | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. ..  | 5. ..                           | 7. ..        |
| 1. सोहागपुर           | ..       |  | 4. (1) ..  | 6. ..                           | 8. ..        |
| 2. ब्यौहारी           | ..       |  | (2) ..   |                                 |              |
| 3. जैसिंहनगर          | ..       |  |  |                                 |              |
| 4. जैतपुर             | ..       |  |  |                                 |              |
| <b>जिला अनूपपुर :</b> | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी             | ..       |  | 4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना,<br>मसूर अधिक. राहर समान.   | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर            | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. कोतमा              | ..       |  |  |                                 |              |
| 4. पुष्पराजगढ़        | ..       |  |  |                                 |              |
| <b>जिला उमरिया :</b>  | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.  | 5. अपर्याप्त.                   | 7. ..        |
| 1. बांधवगढ़           | ..       |  | 4. (1) राहर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,<br>राई-सरसों अधिक.   | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली               | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. मानपुर             | ..       |  |  |                                 |              |

| 1                      | 2        | 3   | 4  | 5                               | 6            |
|------------------------|----------|---|--|---------------------------------|--------------|
| <b>जिला सीधी :</b>     | मिलीमीटर | 2. ..   | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. ..        |
| 1. गोपदवनास            | ..       |   | 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर,<br>मसूर, गेहूँ, जौ समान.       | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल             | ..       |   | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. मझोली               | ..       |   |  |                                 |              |
| 4. कुसमी               | ..       |   |  |                                 |              |
| 5. चुरहट               | ..       |   |  |                                 |              |
| 6. रामपुरनैकिन         | ..       |   |  |                                 |              |
| <b>जिला सिंगरौली :</b> | मिलीमीटर | 2. फसल तुअर, सरसों, साग-<br>भाजी, पाला से क्षतिग्रस्त हुई है. | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी             | ..       |   | 4. (1) तुअर, राई-सरसों, मसूर बिगड़ी<br>हुई. चना, गेहूँ मटर समान. | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर               | ..       |   | (2) ..   |                                 |              |
| 3. सिंगरौली            | ..       |   |  |                                 |              |
| <b>जिला मन्दासौर :</b> | मिलीमीटर | 2. ..   | 3. ..  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा-टप्पा       | ..       |   | 4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.                                | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा             | ..       |   | (2) ..   |                                 |              |
| 3. मल्हारगढ़           | ..       |   |  |                                 |              |
| 4. गरोठ                | ..       |   |  |                                 |              |
| 5. मन्दासौर            | ..       |   |  |                                 |              |
| 6. सीतामऊ              | ..       |   |  |                                 |              |
| 7. धुन्धड़का           | ..       |   |  |                                 |              |
| 8. शामगढ़              | ..       |   |  |                                 |              |
| 9. संजीत               | ..       |   |  |                                 |              |
| <b>जिला नीमच :</b>     | मिलीमीटर | 2. ..   | 3. कोई घटना नहीं.  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद                | ..       |   | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर<br>अधिक.                 | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच                | ..       |   | (2) उपरोक्त फसलें समान.  |                                 |              |
| 3. मनासा               | ..       |   |  |                                 |              |
| <b>*जिला रतलाम :</b>   | मिलीमीटर | 2. ..   | 3. ..  | 5. ..                           | 7. ..        |
| 1. जावरा               | ..       |   | 4. (1) ..  | 6. ..                           | 8. ..        |
| 2. आलोट                | ..       |   | (2) ..   |                                 |              |
| 3. सैलाना              | ..       |   |  |                                 |              |
| 4. बाजना               | ..       |   |  |                                 |              |
| 5. पिपलौदा             | ..       |   |  |                                 |              |
| 6. रतलाम               | ..       |   |  |                                 |              |
| <b>जिला उज्जैन :</b>   | मिलीमीटर | 2. ..   | 3. कोई घटना नहीं.  | 5. पर्याप्त.                    | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद              | ..       |   | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.                                       | 6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर             | ..       |   | (2) ..   |                                 |              |
| 3. तराना               | ..       |   |  |                                 |              |
| 4. घटिया               | ..       |   |  |                                 |              |
| 5. उज्जैन              | ..       |   |  |                                 |              |
| 6. बड़नगर              | ..       |   |  |                                 |              |
| 7. नागदा               | ..       |   |  |                                 |              |
| <b>*जिला शाजापुर :</b> | मिलीमीटर | 2. ..   | 3. ..  | 5. ..                           | 7. ..        |
| 1. मो. बड़ोदिया        | ..       |   | 4. (1) ..  | 6. ..                           | 8. ..        |
| 2. सुसनेर              | ..       |   | (2) ..   |                                 |              |
| 3. नलखेड़ा             | ..       |   |  |                                 |              |
| 4. आगर                 | ..       |   |  |                                 |              |
| 5. बड़ौद               | ..       |   |  |                                 |              |
| 6. शाजापुर             | ..       |   |  |                                 |              |
| 7. शुजालपुर            | ..       |   |  |                                 |              |
| 8. कालापिपल            | ..       |   |  |                                 |              |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                            |
|--|--|--|--|---|------------------------------|
| <b>जिला देवास :</b>  | मिलीमीटर   | 2. बोनी का कार्य चालू है.                          | 3. कोई घटना नहीं.<br>4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक.<br>ज्वार, मक्का, कपास कम.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान.                 | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ<br>2. टोंकखुर्द<br>3. देवास<br>4. बागली<br>5. कन्नौद<br>6. खातेगांव   | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..                                     |  |  |   |                              |
| <b>जिला झाबुआ :</b>  | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.<br>4. (1) कपास, मक्का, गेहूँ अधिक.<br>चना समान.<br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.                               | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. ..<br>8. पर्याप्त.        |
| 1. थांदला<br>2. मेघनगर<br>3. पेटलावद<br>4. राणापुर<br>5. झाबुआ   | ..<br>..<br>..<br>..<br>..   |  |  |   |                              |
| <b>जिला अलीराजपुर :</b>  | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.<br>4. (1) चना, गेहूँ अधिक.<br>(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.  | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>..             | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. भामरा<br>2. जोवट<br>3. अलीराजपुर<br>4. सोण्डवा<br>5. उदयगढ़<br>6. कट्टीवाड़ा  | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..                                     |  |  |   |                              |
| <b>*जिला धार :</b>   | मिलीमीटर   | 2. ..  | 3. ..<br>4. (1) ..<br>(2) ..   | 5. ..<br>6. ..                                  | 7. ..<br>8. ..               |
| 1. बदनावर<br>2. सरदारपुर<br>3. धार<br>4. कुक्षी<br>5. मनावर<br>6. धरमपुरी<br>7. गंधवानी  | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..                               |  |  |   |                              |
| <b>जिला इन्दौर :</b>   | मिलीमीटर   | 2. रबी फसल चना व आलू की फसल पर आंशिक क्षति हुई है. | 3. ..<br>4. (1) ..<br>(2) ..   | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर<br>2. सांवेर<br>3. इन्दौर<br>4. महू<br>(डॉ. अम्बेडकरनगर)   | ..<br>..<br>..<br>..<br>..   |  |  |   |                              |
| <b>जिला प. निमाड़ :</b>  | मिलीमीटर   | 2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.               | 3. ..<br>4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.<br>(2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. पर्याप्त.<br>6. संतोषप्रद,<br>चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त.<br>8. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह<br>2. सनावद<br>3. महेश्वर<br>4. सेगांव<br>5. करही<br>6. खरगोन<br>7. गोगावां<br>8. कसरावद<br>9. मुल्ठान<br>10. भगवानपुरा<br>11. भीकनगांव<br>12. झिरन्या | ..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>..<br>.. |  |  |   |                              |

| 1                          | 2        | 3  | 4  | 5              | 6            |
|----------------------------|----------|--|--|----------------|--------------|
| <b>*जिला बड़वानी:</b>      | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. ..                                    | 5. ..          | 7. ..        |
| 1. बड़वानी                 | ..       |  | 4. (1) ..                                | 6. ..          | 8. ..        |
| 2. ठीकरी                   | ..       |  | (2) ..                                   |                |              |
| 3. राजपुर                  | ..       |  |  |                |              |
| 4. सेंधवा                  | ..       |  |  |                |              |
| 5. पानसेमल                 | ..       |  |  |                |              |
| 6. पाटी                    | ..       |  |  |                |              |
| 7. निवाली                  | ..       |  |  |                |              |
| <b>जिला पूर्ण-निमाड़ :</b> | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. ..                                    | 5. पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा                  | ..       |  | 4. (1) गेहूँ, चना समान.                  | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. पंधाना                  | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.            | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. हरसूद                   | ..       |  |  |                |              |
| <b>जिला बुरहानपुर :</b>    | मिलीमीटर | 2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.  | 3. ..                                    | 5. पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर               | ..       |  | 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ कम.             | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार                   | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.                  | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. नेपानगर                 | ..       |  |  |                |              |
| <b>जिला राजगढ़ :</b>       | मिलीमीटर | 2. शीत लहर से फसल धनियां, आलू प्रभावित हुई है.                                 | 3. ..                                    | 5. अपर्याप्त.  | 7. पर्याप्त. |
| 1. जीरापुर                 | ..       |  | 4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम. | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिलचीपुर                | ..       |  | मक्का, मूँगफली, तिल समान.                | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. राजगढ़                  | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.                  |                |              |
| 4. ब्यावरा                 | ..       |  |  |                |              |
| 5. सारंगपुर                | ..       |  |  |                |              |
| 6. नरसिंहगढ़               | ..       |  |  |                |              |
| <b>जिला विदिशा :</b>       | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.                        | 5. पर्याप्त.   | 7. ..        |
| 1. लटेरी                   | ..       |  | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,    | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज                  | ..       |  | राई-सरसों.                               | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. कुरवाई                  | ..       |  | (2) ..                                   |                |              |
| 4. बासौदा                  | ..       |  |  |                |              |
| 5. नटेरन                   | ..       |  |  |                |              |
| 6. विदिशा                  | ..       |  |  |                |              |
| 7. ग्यारसपुर               | ..       |  |  |                |              |
| <b>जिला भोपाल :</b>        | मिलीमीटर | 2. तुअर, गन्ना की कटाई का कार्य चालू है. रबी फसलों को 5 से 10 % नुकसान हुआ है. | 3. ..                                    | 5. अपर्याप्त.  | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया                 | ..       |  | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, गन्ना कम.       | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर                   | ..       |  | (2) उपरोक्त फसलें समान.                  | चारा पर्याप्त. |              |
| <b>जिला सीहोर :</b>        | मिलीमीटर | 2. ..  | 3. कोई घटना नहीं.                        | 5. पर्याप्त.   | 7. ..        |
| 1. सीहोर                   | ..       |  | 4. (1) ..                                | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा                   | ..       |  | (2) ..                                   | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. इच्छावर                 | ..       |  |  |                |              |
| 4. नसरुल्लागंज             | ..       |  |  |                |              |
| 5. बुधनी                   | ..       |  |  |                |              |

| 1                       | 2        | 3   | 4   | 5              | 6            |
|-------------------------|----------|---|---|----------------|--------------|
| <b>*जिला रायसेन :</b>   | मिलीमीटर | 2. ..                                       | 3. ..   | 5. ..          | 7. ..        |
| 1. रायसेन               | ..       |   | 4. (1) ..   | 6. ..          | 8. ..        |
| 2. गौरतगंज              | ..       |   | (2) ..  |                |              |
| 3. बेगमगंज              | ..       |   |   |                |              |
| 4. गोहरगंज              | ..       |   |   |                |              |
| 5. बरेली                | ..       |   |   |                |              |
| 6. सिलवानी              | ..       |   |   |                |              |
| 7. उदयपुरा              | ..       |   |   |                |              |
| <b>जिला बैतूल :</b>     | मिलीमीटर | 2. तुअर एवं गन्ने की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं.                                       | 5. पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैसदेही              | ..       |   | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.                            | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुर               | ..       |   | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.                            | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. बैतूल                | ..       |   |   |                |              |
| 4. मुलताई               | ..       |   |   |                |              |
| 5. आमला                 | ..       |   |   |                |              |
| <b>जिला होशंगाबाद :</b> | मिलीमीटर | 2. ..                                       | 3. कोई घटना नहीं.                                       | 5. पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा          | ..       |   | 4. (1) गेहूँ, तुअर, मूंगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.    | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद            | ..       |   | (2) उपरोक्त फसलें समान.                                 | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. बाबई                 | ..       |   |   |                |              |
| 4. इटारसी               | ..       |   |   |                |              |
| 5. सोहागपुर             | ..       |   |   |                |              |
| 6. पिपरिया              | ..       |   |   |                |              |
| 7. वनखेड़ी              | ..       |   |   |                |              |
| 8. पचमढी                | ..       |   |   |                |              |
| <b>जिला हरदा :</b>      | मिलीमीटर | 2. ..                                       | 3. कोई घटना नहीं.                                       | 5. पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा                 | ..       |   | 4. (1) गेहूँ  | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया             | ..       |   | (2) ..  | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. टिमरनी               | ..       |   |   |                |              |
| <b>जिला जबलपुर :</b>    | मिलीमीटर | 2. ..                                       | 3. ..   | 5. पर्याप्त.   | 7. ..        |
| 1. सीहोरा               | ..       |   | 4. (1) गेहूँ, उड़द, मूंगमोठ सुधरी हुई.                  | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन                 | ..       |   | (2) ..  | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. जबलपुर               | ..       |   |   |                |              |
| 4. मझौली                | ..       |   |   |                |              |
| 5. कुण्डम               | ..       |   |   |                |              |
| <b>जिला कटनी :</b>      | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है.                  | 3. ..   | 5. पर्याप्त.   | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी                 | ..       |   | 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर समान. | 6. संतोषप्रद,  | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी                 | ..       |   | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.                            | चारा पर्याप्त. |              |
| 3. विजयराघवगढ़          | ..       |   |   |                |              |
| 4. बहोरीबंद             | ..       |   |   |                |              |
| 5. ढीमरखेड़ा            | ..       |   |   |                |              |
| 6. बरही                 | ..       |   |   |                |              |

| 1                 | 2        | 3                                   | 4   | 5                            | 6            |
|-------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| *जिला नरसिंहपुर : | मिलीमीटर | 2. ..                               | 3. ..   | 5. ..                        | 7. ..        |
| 1. गाडरवारा       | ..       |                                     | 4. (1) ..   | 6. ..                        | 8. ..        |
| 2. करेली          | ..       |                                     | (2) ..  |                              |              |
| 3. नरसिंहपुर      | ..       |                                     |   |                              |              |
| 4. गोटगांव        | ..       |                                     |   |                              |              |
| 5. तेन्दूखेड़ा    | ..       |                                     |   |                              |              |
| जिला मण्डला :     | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. ..   | 5. पर्याप्त.                 | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास          | ..       |                                     | 4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी सुधरी.                          | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया         | ..       |                                     | (2) ..  |                              |              |
| 3. नैनपुर         | ..       |                                     |   |                              |              |
| 4. मण्डला         | ..       |                                     |   |                              |              |
| 5. घुघरी          | ..       |                                     |   |                              |              |
| 6. नारायणगंज      | ..       |                                     |   |                              |              |
| जिला डिण्डोरी :   | मिलीमीटर | 2. ..                               | 3. कोई घटना नहीं.   | 5. पर्याप्त.                 | 7. ..        |
| 1. डिण्डोरी       | ..       |                                     | 4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.           | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा        | ..       |                                     | (2) उपरोक्त फसलें समान.   |                              |              |
| जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर | 2. ..                               | 3. कोई घटना नहीं.   | 5. पर्याप्त.                 | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा     | ..       |                                     | 4. (1) ..   | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव     | ..       |                                     | (2) ..  |                              |              |
| 3. परासिया        | ..       |                                     |   |                              |              |
| 4. जामई (तामिया)  | ..       |                                     |   |                              |              |
| 5. सोसर           | ..       |                                     |   |                              |              |
| 6. पांडुर्णा      | ..       |                                     |   |                              |              |
| 7. अमरवाड़ा       | ..       |                                     |   |                              |              |
| 8. चौरई           | ..       |                                     |   |                              |              |
| 9. बिलुआ          | ..       |                                     |   |                              |              |
| 10. मोहखेड़ा      | ..       |                                     |   |                              |              |
| 11. हरई           | ..       |                                     |   |                              |              |
| जिला सिवनी :      | मिलीमीटर | 2. ..                               | 3. ..   | 5. पर्याप्त.                 | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी          | ..       |                                     | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, मटर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी        | ..       |                                     | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.  |                              |              |
| 3. लखनादौन        | ..       |                                     |   |                              |              |
| 4. बरघाट          | ..       |                                     |   |                              |              |
| 5. कुरई           | ..       |                                     |   |                              |              |
| 6. घंसौर          | ..       |                                     |   |                              |              |
| 7. धनोरा          | ..       |                                     |   |                              |              |
| 8. छपारा          | ..       |                                     |   |                              |              |
| जिला बालाघाट :    | मिलीमीटर | 2. ..                               | 3. ..   | 5. पर्याप्त.                 | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट        | ..       |                                     | 4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.                 | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी          | ..       |                                     | (2) उपरोक्त फसलें समान.   |                              |              |
| 3. बैहर           | ..       |                                     |   |                              |              |
| 4. वारासिवनी      | ..       |                                     |   |                              |              |
| 5. कटंगी          | ..       |                                     |   |                              |              |
| 6. किरनापुर       | ..       |                                     |   |                              |              |

टीप.— \*जिला शहडोल, रतलाम, शाजापुर, धार, बड़वानी, रायसेन, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(233)